न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 03/2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 छगनाराम पुत्र स्व. जुगताराम जाति माली निवासी माया का नाडिया मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेर		1 गोरधनराम पुत्र स्व. जुगताराम जाति माली निवासी माया का नाडिया मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेर 2 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री अलसाराम कुमावत वादी पक्ष।
2. श्री महेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक 28/05/2025

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 गोरधनराम दोनों सगे भाई हैं तथा स्व. श्री जुगताराम के जायंदा पुत्र हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक एंव पुश्तैनी भूमि मूल खसरा संख्या 185 मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा भू.अ.नि. जालीपा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाडमेंर में आयी हुई हैं जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2894/185, 3174/185, 3028/185 व 3029/185 है। मूल खसरा संख्या 185 मौजा माया का नाडिया में से रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि का बेचान वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा सामूहिक रूप से किया था। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2894/185 हैं। मूल खसरा संख्या 185 में से बेचान की गयी भूमि रकबा 1.6187 हैक्टेयर के बाद शेष बची भूमि में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 का बराबर–बराबर 1/2–1/2 हक व हिस्सा था तथा दोनो भाईयों द्वारा सहमति से शेष बची भूमि का विभाजन करवाया था लेकिन बंटवाड़े के दौरान भूलवश भूमि का रकबा व तरमीम गलत हो गयी तथा विभाजन के बाद सृजित वर्तमान खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर मौजा माया का नाडिया की भूमि में भूलवंश दोनों भाईयों का 1/2–1/2 हक व हिस्सा दर्ज हो गया जो कि गलत हैं जबकि उक्त खसरा संख्या 3029/185 की समस्त भूमि रकबा 0.1376 हैक्टेयर पर अकेले वादी छगनाराम का कब्जा व काश्त हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 का कोई कब्जा–काश्त नहीं हैं। लेकिन भूमि मुख्य सड़क पर स्थित होने तथा कीमतो में वृद्धि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जबरदस्ती पूर्वक उक्त खसरे की भूमि में भूलवंश दर्ज हुए अपने हिस्से का नाजायाज फायदा उठाते हुए इस भूमि पर काबिज होने का प्रयास किया जा रहा हैं तथा वादी को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा हैं जिसे रोकने का वादी कानून अधिकारी हैं इसलिए घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद पेश किया जा रहा हैं। अतः वादग्रस्त मूल खसरा संख्या 185 के वर्तमान खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर की भूमि में निहित प्रतिवादीगण

फोटो स्टेट प्रमाणित निर्णय
दिनांक ....
मुकदमा ... राजस्व ... नं. 3/25
छगनाराम V/s गोरधनराम
.... 580 Rs

प्रमाणित प्रतिलिपि
(संजय मेहता)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

ख्या 01 के 1/2 हिस्से में आने वाली भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से डिलिट कर वादी की खातेदारी में घोषित किये जाने का आदेश फरमावें।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादीं संख्या 01 के द्वारा जवाबदावामय प्रतिदावा पेश किया गया कि मूल खसरा संख्या 185 मौजा माया का नाडिया की भूमि का विभाजन आपसी सहमति से करवाया गया था लेकिन अनपढ़ होने के कारण रकबे का वास्तविक ज्ञान नहीं था लेकिन कुछ समय पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी भूमि का माप किया गया तो ज्ञात हुआ कि वादी छगनाराम के पास भूमि का क्षैत्रफल अधिक हैं तब प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी छगनाराम से भूमि का सहीं व बराबर बंटवाड़ा करवाने के लिए निवेदन किया तथा उनको भूमि से बेदखल करने कोई प्रयास नहीं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया है कि मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण के मूल खसरा संख्या 185 में नवृजित खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हक व हिस्सा दर्ज हैं यदि वादी उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 3029/185 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम डिलेट करवाकर उक्त खसरे की समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है तो प्रतिवादी संख्या 01 इस शर्त व कथान के आधार पर सहमत व तैयार है कि वादी छगनाराम अपनी खातेदारी के खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर तहसील बाड़मेंर ग्रामीण की भूमि (जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा संख्या 3174/185 मौजा माया का नाडिया से जुड़ी हुई हैं) में से भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से खातेदारी में दर्ज करवायेगा जितनी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त खसरा संख्या 3039/185 में वादी के पक्ष मे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अतः वादी के वाद के साथ प्रतिवादी संख्या 01 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 मौजा माया का नाडिया की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम डिलेट किया जावे तथा खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को खसरा संख्या 3029/185 में निहित 1/2 हिस्से के रूप में आने वाली भूमि के बराबर रकबा भूमि तक का खातेदार घोषित किया जावें।

विवादग्रस्त बिन्दु निर्धारित किये गये जो निम्नप्रकार है :-

1. आया, मौजा माया का नाडिया के मूल खसरा नम्बर 185 वर्तमान खसरा नम्बर 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या 01 के 1/2 हिस्से में आने वाली भूमि को प्रतिवादीगण सं0 01 के नाम से हटाकर वादी की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे वादी

प्रमाणित प्रतिलिपि
(संजय मेहता)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

2. आया वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जावे कि वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रतिवादी मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ?

जिम्मे वादी

3. आया मौजा माया का नाडिया के 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं0 01 का नाम हटाने तथा खसरा नम्बर 3949/3894 रकबा 3.1606 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को नाम खसरा नम्बर 3029/185 में निहित 1/2 हिस्से के रूप में आने वाली भूमि के बराबर भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है?

जिम्मे प्रतिवादी सं0 1

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 28.05.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के मूल खसरा संख्या 185 की वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी एंव पैतृक भूमि हैं जिसके वर्तमान खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 है जिसमें खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम डिलेट किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई एतराज नहीं हैं तथा खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 हैक्टेयर में से वादी प्रतिवादी संख्या 01 को खसरा संख्या 3029/185 में प्रतिवादी संख्या 01 के हक व हिस्से में आने वाली भूमि के बराबर भूमि देने के लिए वादी तैयार हैं। उक्त राजीनामा आपसी सहमति, रजामंदी एंव अपने भविष्य को सोच समझ कर लिख रहें हैं।

पत्रावली का अवलोकन क़िया गया पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व राजीनामा का विधि के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन मनन किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य सबूतों से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गोरधराम सगा भाई है और वादी और राजीमानाम से न्यायालय में यह तथ्य भी भलीभांति स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर भू.अ.नि. जालीपा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाडमेंर खेत के मूल खसरा संख्या 185 वर्तमान खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। लिहाजा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यों व वादी व प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पेश राजीनामा के वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि प्रमाणित है। मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के मूल खसरा संख्या 185 की वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी एंव पैतृक भूमि हैं जिसके वर्तमान खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 है

प्रमाणित प्रतिलिपि
(संजय मेहता)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर

(SDO) बाड़मेर

खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 का [illegible] डिलेट किया जाना तथा खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 हैक्टेयर में से [illegible]तिवादी संख्या 01 को खसरा संख्या 3029/185 में प्रतिवादी संख्या 01 के हक व हिस्से में आने वाली भूमि के बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिवादावा राजीनामा के प्ररिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के मूल खसरा संख्या 185, वर्तमान खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 है जिसमें खसरा संख्या 3029/185 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम डिलेट किया जाता हैं तथा खसरा संख्या 3949/3894 रकबा 3.1606 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 को खसरा संख्या 3029/185 में हक व हिस्से में आने वाली भूमि के बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। **अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दांखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरमो राम)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
(संजय मेहता)
प्रशासनिक अधिकारी
जिला कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर